

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 110 / 2006

पीपल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर (प्रसार) एवं अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

...प्रतिवादिगण

सह

अंतरित वाद (सिविल) क्रमांक 8 / 2017

हेडनोट्स

भारतीय संविधान अनुच्छेद 32, 21, 39 (ड), 42, 48 (क) और 43 श्रमिकों में "सिलिकोसिस"-प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका, जिसमें खनन, निर्माण, पत्थर काटने और सैंडब्लास्टिंग जैसी विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत श्रमिकों में "सिलिकोसिस" की गंभीर समस्या के समाधान हेतु न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई, **अभिनिर्धारित:** सुनिश्चित करना कि उद्योगों द्वारा न्यूनतम मानकों का पालन किया जाए और यदि पालन न हो तो ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाए इस दृष्टि से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देशित किया गया कि वह विभिन्न राज्यों में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया की निगरानी करे संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करने और उनके साथ सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया प्रभावी और विलंबरहित रूप से संपन्न हो।

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 110 / 2006:

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाकर्ता दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन, पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर द्वारा दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय से देशभर के विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को प्रभावित करने वाली "सिलिकोसिस" नामक गम्भीर बीमारी से व्युत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु हस्तक्षेप की प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता संगठन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 20 दिसंबर, 1999 से पंजीकृत है एवं खनिज एवं निर्माण क्षेत्र के

श्रमिकों विशेषतः स्टोन क्रशर, पत्थर खदान तथा निर्माण में लगे श्रमिकों के कार्यस्थल पर समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

2. सिलिकोसिस फेफड़ों की एक असाध्य बीमारी है, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक साँस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के कारण होती है और यह भारत में व्यापक रूप से फैली हुई है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त पहचान, निगरानी और उपचारात्मक उपाय हैं। यह रोग मुख्यतः उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो खनन, निर्माण, पत्थर कटाई, और सैंडब्लास्टिंग जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं, जहाँ उन्हें अत्यधिक मात्रा में सिलिका धूल के संपर्क में रहना पड़ता है। समय के साथ, यह सिलिका कण फेफड़ों में जलन और ऊतकों में रंध्र उत्पन्न करते हैं, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है और गंभीर श्वसन संकट उत्पन्न होता है। यह रोग तीन प्रकारों में प्रकट होता है—क्रॉनिक (दीर्घकालिक), एक्सेलेरेटेड (त्वरित), और एक्यूट (तीव्र) सिलिकोसिस, जो धूल के कणों से संपर्क की तीव्रता और अवधि पर निर्भर करते हैं। क्रॉनिक सिलिकोसिस इसका सबसे सामान्य रूप है जो 10 से 30 वर्षों की अल्प से मध्यम स्तर की संपर्क अवधि में विकसित होता है, जबकि एक्सेलेरेटेड और एक्यूट प्रकार कम अवधि में अत्यधिक संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके लक्षणों में साँस फूलना, लगातार खाँसी, सीने में दर्द और थकान शामिल हैं, जो प्रायः गंभीर अक्षमता और समयपूर्व मृत्यु का कारण बनते हैं। हालाँकि यह रोग पर्याप्त सुरक्षा उपायों, निगरानी, और सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग से रोके जाने योग्य है तथापि सख्त प्रवर्तन और जन-जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक इस विकलांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इस बात पर बल दिया है कि इस बीमारी की पहचान, रोकथाम और उपचार के लिए प्रणालीगत सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, जिससे देशभर में श्रमिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3. याचिकाकर्ता का कथन यह है कि विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के मध्य सिलिकोसिस की व्यापक और अनियंत्रित स्थिति भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस याचिका का मूल आधार यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गरिमामयी जीवन का अधिकार, गंभीर रूप से उपेक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता संगठन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी संदर्भ दिया है, विशेष रूप से संविधान के

अनुच्छेद 39 (ड) और 42 का, जो यह निर्देशित करते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक विवशता के कारण ऐसे व्यवसायों में प्रवृत्त न होना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप न हों। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि राज्य द्वारा खतरनाक परिस्थितियों से श्रमिकों की सुरक्षा न कर पाना तथा उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा, मुआवजा और पुनर्वास न प्रदान करना, इन संवैधानिक दायित्वों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद 48(क) के अंतर्गत निहित स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अनुच्छेद 43 का भी उल्लेख करता है, जो राज्य को यह निर्देशित करता है कि वह श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, गरिमापूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य परिस्थितियाँ, तथा विश्राम और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करे।

4. याचिकाकर्ता संगठन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि पीड़ितों एवं उनके परिवारों के लिए पर्याप्त बीमा, उपचार, मुआवजा तथा पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय से यह प्रार्थना की है कि वह एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दे, जो श्रमिकों, विशेषतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सिलिकोसिस एवं अन्य व्यावसायिक रोगों की पहचान एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर समग्र रूप से विचार करे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि इस प्रकार के रोगों की रोकथाम एवं उपचार, प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास, मृत श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करने, तथा पीड़ितों के परिवारजनों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ।

अब तक की कार्यवाही का सारांश

5. यह रिट याचिका 2006 में दायर की गई थी। तब से विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं और वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उन आदेशों को देखना आवश्यक होगा। मूल रिट याचिका में निम्नलिखित प्रत्यर्थी थे:

- भारत सरकार
- कानून, न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- हरियाणा राज्य
- राजस्थान राज्य
- गुजरात राज्य
- दिल्ली राज्य
- पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश

5.1. 27.03.2006 को इन प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले के मानवाधिकार के पहलू को देखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, को भी इन कार्यवाहियों में एक पार्टी बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों के परिवारों तक मुआवजा पहुँच सके।

5.2. 25.07.2008 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आवेदन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पार्टी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई।

5.3. 5.3.2009 को न्यायालय के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में सिलिकोसिस पर किए गए सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह दिखाया गया कि यह समस्या कई राज्यों में फैली हुई है और आगे भी सर्वेक्षणों की आवश्यकता है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिलिकोसिस के संबंध में कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिलिकोसिस के विशिष्ट पुष्टि किए गए मामलों में पीड़ितों के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता और उक्त रोग के कारण मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया।

5.4. 01.02.2010 को, मध्य प्रदेश राज्य को भी इस मामले में एक प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया।

5.5. इस न्यायालय के 05.03.2009 के आदेश की अनुपालना में 12.11.2010 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें गुजरात राज्य द्वारा सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा में विफलता को उजागर किया गया और उन्हें मुआवजा प्रदान करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में यह पाया गया कि गुजरात में प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से गोधरा में खदान श्रमिकों की सिलिकोसिस के

संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता हुई थी, जिसके कारण 238 श्रमिकों के परिजनों को 3,00,000/- रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य से गुजरात में खदान श्रमिक के रूप में काम करने आए 304 श्रमिकों को मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पुनर्वास पैकेज देने का निर्देश दिया गया।

5.6 18.2.2014 को, इस मामले में मुद्दे की व्यापकता को देखते हुए न्यायालय ने शेष राज्यों को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।

5.7 4.5.2016 को, न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 12.11.2010 को प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन गुजरात राज्य द्वारा नहीं किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को महानिदेशक के माध्यम से एक पार्टी-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। गुजरात राज्य को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को ₹1 लाख का मुआवजा दिया जाना था और शेष ₹2 लाख को उनके नाम पर एक महीने के भीतर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) में जमा किया जाना था। गुजरात के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक मृतक श्रमिक के लिए ₹3 लाख की राशि झाबुआ और अलीराजपुर के जिला कलेक्टरों को वितरण हेतु हस्तांतरण करें। वितरण का कार्य जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाना था और यदि आवश्यक हो तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सहायता ली जा सकती थी। मध्य प्रदेश राज्य को निर्देश दिया गया कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पहचाने गए 304 प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उठाये गये कदमों का विवरण देने को लेकर शपथपत्र दाखिल करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी गोधरा, गुजरात में सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस पर समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाइयों के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

5.8. 23.8.2016 को न्यायालय ने गुजरात राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र की समीक्षा की और पीड़ितों के परिजनों तक मुआवजा पहुंचाने में उनके प्रयासों की सराहना की। न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दाखिल किए गए अतिरिक्त शपथपत्र की भी समीक्षा की और यह अवलोकन किया कि गुजरात में 30 सक्रिय क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग इकाइयों में से 16 इकाइयाँ वैधानिक आदेशों का पालन नहीं कर रही

थीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से इन कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें कीं। न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इन सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाइयों पर और निर्देशों का अनुपालन न करने वाली 14 इकाइयों को बंद करने के संबंध में चार सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि गैर-अनुपालन इकाइयाँ फिर से शुरू होने का इरादा रखती हैं, तो उन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पालन को सुनिश्चित करना होगा और गैर-अनुपालन इकाइयों को बंद करने के लिए कदम उठाने होंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुजरात राज्य में क्वार्टर्ज ग्राइंडिंग इकाइयों का निरीक्षण भी किया और निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

- i. संभावित धूल उत्सर्जन स्रोतों जैसे कि क्रशर हॉपर, कन्वेयर बेल्ट से सामग्री के स्थानांतरण बिंदु, डिसइंटीग्रेटर, बकेट एलिवेटर से अन्य संयंत्र उपकरणों में सामग्री के स्थानांतरण बिंदु, रोटरी स्क्रीन, मैग्नेटिक सेपरेटर, वाइब्रेटरी स्क्रीन आदि पर पर्याप्त धूल निष्कर्षण प्रणालियाँ स्थापित की जाएँ। इन स्रोतों की धूल निष्कर्षण प्रणाली को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) से जोड़ा जाए। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण से जुड़े स्टैक्स को सीपीसीबी के उत्सर्जन विनियम, भाग-III के अनुसार उपयुक्त निगरानी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए।*
- ii. स्टैक की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार छत के स्तर से न्यूनतम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।*
- iii. संयंत्र प्रक्रिया मशीनरियों के लिए बनाए गए शेड को पूर्ण रूप से बंद किया जाए और बार-बार निरीक्षण के लिए छोटे छिद्र रखने के बजाय सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ।*
- iv. आंतरिक सड़कों को बिटुमिन या कंक्रीट से बनाया जाए ताकि वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न होने वाले उड़ते प्रदूषण को कम किया जा सके और उचित सफाई एवं पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाए।*
- v. प्रत्येक इकाई की परिधि के चारों ओर हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) की व्यवस्था की जाए।*

- vi. धूल उत्पन्न होने वाले स्थानों पर व्यवस्थित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए ताकि उड़ते प्रदूषण को कम किया जा सके और पानी की उपयोगिता का लेखा-जोखा रखा जाए।
- vii. ट्रकों में उत्पादों को लोड करते समय या बैग में बारीक धूल भरते समय उड़ते प्रदूषण को कम करने के लिए टेलीस्कोपिक या कोई अन्य प्रणाली अपनाई जाए।
- viii. संयंत्र के संचालन के दौरान सभी श्रमिकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (जैसे कि धूल मास्क, हेलमेट, सुरक्षा जूते, चश्मा, ईयरप्लग) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
- ix. इकाइयाँ पर्यावरणीय निगरानी सुनिश्चित करें और नियमित अंतराल पर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- x. साफ सफाई की स्थिति में सुधार किया जाए।
- xi. उपरोक्त उपायों के अनुपालन हेतु इकाइयाँ 30 दिनों के भीतर समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करें।"

5.9. अतःकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप न्यायालय ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड और दिल्ली के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे क्वार्टर्ज ग्राइंडिंग इकाइयों का निरीक्षण करें और तीन सप्ताह के भीतर कमियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे अनुपालन की समय-सीमा के बाद स्वयं इकाइयों का दौरा करें और जो इकाइयाँ मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें बंद करने की कार्रवाई करें।

5.10. मध्य प्रदेश राज्य ने 334 सिलिकोसिस-पीड़ित व्यक्तियों की पहचान की थी, जिन्होंने पुनर्वास के लिए दावा किया था। झाबुआ, अलीराजपुर और धार की जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि वे लाभों के वास्तविक वितरण को सत्यापित करें और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी सिलिकोसिस-पीड़ित व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। मृत पीड़ितों के मामलों में मुआवजा नीति के अनुसार प्रदान किया जाना था।

5.11. न्यायालय ने भारत में सिलिकोसिस की सामान्य समस्या पर आगे अवलोकन किया और यह पाया कि यह समस्या विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और पुडुचेरी राज्यों में गंभीर रूप से व्याप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस विषय पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था और संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किंतु न्यायालय का यह मत था कि न तो रोकथाम और न ही पुनर्वास के क्षेत्र में कोई सार्थक कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने आगे यह भी अवलोकन किया कि दिनांक 30 जनवरी 2008 को रिट याचिका(सिविल) क्रमांक 79/2005, शीर्षक 'ऑक्जूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य' में इस न्यायालय ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में कमी लाने के कुछ पहलुओं पर विचार किया था और निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए थे:

- i. सभी कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में कार्यरत श्रमिकों का ट्रेड यूनियनों से परामर्श कर नियुक्त डॉक्टरों द्वारा समय चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। यह प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण छह माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
- ii. जिन श्रमिकों को किसी व्यावसायिक रोग, व्याधि या दुर्घटना से पीड़ित पाया जाए, उन्हें उपचार की पूर्ण अवधि अथवा मृत्यु तक निःशुल्क एवं समय चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया जाए।
- iii. बीमारी के दौरान श्रमिकों की सेवा समाप्त न की जाए और उन्हें इयूटी पर उपस्थित मानते हुए उपचार दिया जाए।
- iv. किसी भी व्यावसायिक रोग, व्याधि या दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाए।
- v. श्रमिकों को विशेषज्ञ संस्था द्वारा, ट्रेड यूनियनों से परामर्श कर, अनुशंसित आधुनिक सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जाएँ।

- vi. धूल, ताप, शोर, कंपन और विकिरण के नियंत्रण हेतु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच), अहमदाबाद, गुजरात द्वारा अनुशंसित कड़े नियंत्रण उपायों को तत्काल अपनाया जाए।
- vii. सभी नियोक्ता भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट' के आचार संहिता का पालन करें।
- viii. एनआईओएच द्वारा अनुशंसित सुरक्षित विधियों का पालन कर खतरनाक अपशिष्ट का संचालन, संग्रहण और निपटान किया जाए।
- ix. एनआईओएच द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए जिसमें ट्रेड यूनियनों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्षेत्र की गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की जा सके और सिफारिशें की जा सकें।”

5.12. न्यायालय का यह मत था की उपर्युक्त दिशा-निर्देश सिलिका इकाइयों पर भी समान रूप से लागू हो। न्यायालय ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे इस विषय में उत्तरदायी अधिकारियों की बैठक बुलाकर विभिन्न रिपोर्टों के क्रियान्वयन के संबंध में एक शपथ-पत्र दायर करें तथा अपने-अपने राज्य में की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी राज्य की नीतियों से परे है। रिपोर्ट का उद्देश्य यह जानना है कि पीड़ितों को वास्तव में क्या-क्या लाभ प्रदान किए गए हैं। न्यायालय ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे दो माह की अवधि में उपर्युक्त विषय में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा अगली सुनवाई की तिथि पर उन्हें स्वयं अपने खर्च पर न्यायालय में उपस्थित होना होगा। न्यायालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञों को नियुक्त कर यह जांच करने का निर्देश दिया कि सिलिकोसिस से प्रभावित रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं तथा क्या उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान किया गया है इत्यादि। इस जांच में आवश्यक व्यय उस राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, जहां जांच की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान विधिक ढांचे के संदर्भ में आकृष्ट करवाते हुवे बताया कि निम्नलिखित उत्तरदायी अधिकारी हैं: खान सुरक्षा के महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; तथा फैक्ट्री सलाह सेवा एवं

श्रम संस्थान के महानिदेशक, भारत सरकार। न्यायालय ने उपर्युक्त अधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- i. 'सिलिकोसिस के जोखिम वाले श्रमिकों के भौगोलिक स्थान तथा राज्यवार उद्योगों/खानों का विवरण।*
- ii. इन स्थलों पर कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या तथा देश में सिलिकोसिस/न्यूमोकोनियोसिस से प्रभावित श्रमिकों की अनुमानित संख्या – राज्यवार एवं उद्योग/खानवार।*
- iii. सिलिकोसिस/न्यूमोकोनियोसिस से प्रभावित श्रमिकों की संख्या, उनके उपचार तथा उन्हें प्रदान किया गया मुआवजा।*
- iv. गत 10 वर्षों में सिलिकोसिस के कारण मृत हुए श्रमिकों की संख्या तथा उन्हें, यदि कोई हो, तो प्रदत्त मुआवजे का विवरण।”*

5.13. तत्पश्चात, न्यायालय ने खान सुरक्षा महानिदेशक तथा फैक्ट्री सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान के महानिदेशक को यह निर्देश दिया कि वे फैक्ट्री अधिनियम की धारा 91क तथा खान अधिनियम की धारा 9क के तहत सिलिकोसिस-पीड़ित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित एक सर्वेक्षण संपादित करें। इस सर्वेक्षण में न केवल सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाए, बल्कि उन गैर-सरकारी संगठनों को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाए जो सिलिकोसिस प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सर्वेक्षण के आधार पर न्यायालय को एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जिसमें उपचार की उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ितों को प्रदत्त वास्तविक मुआवजे तथा प्रभावित श्रमिकों एवं उनके परिजनों के लिए किए गए पुनर्वास उपायों का विवरण सम्मिलित हो। न्यायालय ने प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण एवं चिकित्सकों द्वारा रिपोर्ट तैयार करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

5.14. दिनांक 10.02.2017 को न्यायालय ने सिलिकोसिस पीड़ित संघ द्वारा दायर पक्षकार बनाए जाने के आवेदन को स्वीकार किया।

5.15. दिनांक 01.05.2017 को न्यायालय ने 23.08.2016 के आदेश को दोहराया, जिसमें सिलिकोसिस से प्रभावित एवं मृत श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी सिफारिशें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को यह शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया कि क्या उसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का पालन क्वार्टर्ज एवं अन्य सिलिका धूल उत्पन्न करने वाले उद्योगों द्वारा किया जा रहा है।

5.16. दिनांक 05.03.2019 को न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24.07.2017 को दायर उस रिपोर्ट पर विचार किया जो प्रतिवादी राज्य में संचालित प्रदूषणकारी इकाइयों का निरीक्षण किए जाने के उपरांत प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और मृत्यु के मामले भी देखे गये हैं।

5.17. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने यह सुझाव दिया कि इन प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने हेतु और भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि कई इकाइयों को बंद करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और जो इकाइयाँ या तो निष्क्रिय हैं या अभी भी संचालित हो रही हैं, उनके विरुद्ध बंद करवाने की कार्यवाही प्रगति में है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिन प्रतिवादी राज्यों ने इन इकाइयों को संचालित होने की अनुमति दी है उन्हें पीड़ितों को समुचित मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह केंद्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर अपना उत्तर प्रस्तुत करे।

6. संबंधित राज्य समितियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों का परीक्षण करने के पश्चात वर्तमान याचिका दो मुख्य पहलुओं पर ध्यानाकर्षण करती है। इन दोनों पहलुओं के संबंध में विधि द्वारा उपयुक्त वैधानिक निकाय गठित किए हुए हैं। ये निकाय इस कार्य में अधिक सक्षम हैं कि वे यह निगरानी एवं पर्यवेक्षण कर सकें कि न केवल विधि के उपबंधों बल्कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है और साथ ही यह भी कि आवश्यक आगामी कार्यवाहियाँ भी समय पर संपादित कड़ी जा सके।

7. प्रथमतः इस मामले का पर्यावरणीय पक्ष इस बात से संबंधित है कि विभिन्न उद्योग यह सुनिश्चित करें कि वे अपने श्रमिकों में सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु कुछ न्यूनतम मानकों का

पालन करें। यदि इन मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे उद्योगों को बंद किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, इस विषय के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक उपयुक्त प्राधिकरण है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत स्थापित किये गये राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करना तथा पारित आदेशों को शीघ्र लागू कराना है। चूंकि यह रिट याचिका राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना से पूर्व वर्ष 2006 में दायर की गई थी। अतः प्रारंभ में इन मुद्दों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। किन्तु अब हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण को यह निर्देशित करते हैं कि वह पूरे भारत में सिलिकोसिस की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों और कारखानों के प्रभाव की निगरानी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त, हमराष्ट्रीय हरित अधिकरण को यह भी निर्देशित करते हैं कि वह ऐसे उद्योगों और कारखानों द्वारा सिलिकोसिस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक अन्य कोई भी कदम उठाए।

8. द्वितीय पक्ष प्रभावित श्रमिकों या उनके आश्रितों को यथाशीघ्र समुचित मुआवज़ा दिलवाने से संबंधित है। इस संदर्भ में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह निर्देश देते हैं कि वह विभिन्न राज्यों में मुआवज़ा वितरण करने की प्रक्रिया की निगरानी करे। हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भी यह निर्देशित करते हैं कि वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करें और उसके साथ सहयोग करें ताकि मुआवज़ा वितरण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से तथा बिना किसी विलंब के संपन्न हो सके।

9. हम आगे यह निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करे कि इस मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक प्रतिवेदन एवं हलफनामे, जो संबंधित राज्य समितियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा खनन सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित किया जाए, ताकि वे अपने दायित्वों का प्रभावी एवं त्वरित रूप से निर्वहन कर सकें। याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है कि वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर सकें तथा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

10. अतः यह रिट याचिका उपरोक्त निर्देशानुसार निस्तारित की जाती है।

अंतरित वाद (सिविल) क्रमांक 8 / 2017

11. अंतरित वाद (सिविल) क्रमांक 8/2017 को भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

.....

न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

.....

न्यायमूर्ति श्री प्रसन्ना भालचंद्र वाराले

नई दिल्ली;

06 अगस्त, 2024

Translated by Jay Kishan Sharma R/2705/2020

Checked by Sunil Kumar